राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/पदस्थापन/अलेसे II/761 दिनांकः–12-05-25

परिपत्र

निदेशालय द्वारा आदेश सं. 245/2024–25 एवं 246/2024–25 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये थे तथा विभागीय परिपत्र सं. 384 दि. 17.04.2025 के द्वारा **स्थानान्तरित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार (माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिकों के अतिरिक्त) को निदेशालय स्तर से दिनांक 17.04.2025 को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाकर** निर्देशित किया गया था कि वे स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल अपनी कार्यग्रहण की सूचना ई–मेल/डाक/दस्ती से इस निदेशालय को अविलंब भिजवाये, परन्तु कतिपय कार्मिकों के द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है जो अत्यन्त गंभीर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है।

अतः उक्त परिपत्र दि. 17.04.2024 की पालना में अंतिम अवसर देते हुए स्थानान्तरण आदेशों की पालना नहीं किये जाने वाले कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवीन कार्यालय में कार्यग्रहण कर उक्तानुसार पालना रिपोर्ट भिजवाये अन्यथा उक्त **कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही/निलंबन किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।**

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/पदस्थापन/अलेसे II/761 दिनांकः–12-05-25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त कोषाधिकारी....................................
3. संबंधित विभागाध्यक/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
4. संबंधित कार्मिक .... सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ममान कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं को कार्यमुक्त मानते हुए स्थानान्तरित/स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर सूचना विभागीय ई–मेल पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय
7. निजी पत्रावली

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक– II/III)